211

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /13 जिला–सागर

शिवराज सिंह पुत्र श्री रामसिंह राजपूत, निवासी– मालथौन तहसील मालथौन जिला–सागर (म.प्र.) –– आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला सागर

–– अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3143–दो/ 2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05.02.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनर्विलोकन निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले का संक्षिप्त तथ्य :–

1– यहकि, आवेदक शिवराज सिंह ने ग्राम अटा कर्नेलगढ़ तहसील खुरई पटवारी हल्का नं. 41 बंदोबस्त नं. 345 राजस्व निरीक्षक मण्डल बरौदियाकलां में स्थित खसरा नं. 106 में रकबा 0.27 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय–पत्र के अनुसार क्रय की गई थी तथा मालिकाना कब्जा प्राप्त किया था।

2– यहकि, आवेदक द्वारा अपने स्वयं की भूमि पर कुछ खुदाई करके पत्थर निकाले गये थे जिसकी जांच वर्ष 2004–05 में पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक से कराई गई थी, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 2/अ–67/09–10 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2009 को खसरा नं. 106 रकबा 0.27 हेक्टेयर आबादी अवैध उत्खनन कर अर्थदण्ड रुपये 5,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था, जिसके पालन में उपरोक्त अर्थदण्ड की राशि दिनांक 03.12.2009 को चालान द्वारा जमा कर दी थी।

3– यहकि, जब उपरोक्त प्रकरण में वर्ष 2004–05 की जांच के अनुसार निम्न न्यायालय द्वारा एक बार अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है तब उसे उसी प्रकरण में दुबारा आदेश पारित करने की क्या व्यवस्था थी, इसका कोई विवरण आक्षेपित आदेश में नहीं है।

4– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व कलेक्टर से स्वीकृति नहीं ली है, जबकि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 247 में खनिजों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो शासित निर्धारित की गई है उसका पालन नहीं किया गया है और न ही साक्षियों का परीक्षण किया गया है

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 2197–दो/13 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१२-११-१६	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 3143–दो/12 में पारित आकदेश दिनांक 5–2–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेष पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पष्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	